

# कार्यालय उप संचालक कृषि

सह परियोजना प्रबंधक, जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केन्द्र, जिला - बालोद (छ.ग.)

दूरभाष : 07749-223912, e-mail id - ddabalod@gmail.com

क्रमांक/टी-10/PMKSY-WDC-2.0/2023-24/84

बालोद दिनांक 25/05/2023

## विज्ञापन

छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, (CGSWMA) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर कृषक नगर, लाभाण्डी रायपुर का पत्र क्रमांक 662 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा वर्ष 2021-22 अंतर्गत WDC-PMKSY 2.0 हेतु जिले में 01 नवीन परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत विकासखण्ड गुरुर में 10 माइक्रोवाटरशेड है। जिला बालोद के WDC-PMKSY 2.0 परियोजना में परियोजना अवधि तक के लिए प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड कमेटी के सचिव हेतु राशि रु. 5000/- (अक्षरी- पांच हजार रुपये) एक मुश्त मासिक मानदेय में संविदा नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। कलेक्टर महोदय से प्राप्त अनुमोदन उपरांत प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड कमेटी के सचिव पद हेतु बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 12/06/2023 तक कार्यालयीन समयावधि में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय से एवं जिले की वेब साईट [www.balod.gov.in](http://www.balod.gov.in) से प्राप्त की जा सकती है। सीधे एवं समयावधि पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। माइक्रोवाटरशेड कमेटीवार सचिव भर्ती हेतु आरक्षणवार पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	विवरण						कुल रिक्त पद
		जलग्रहण समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	
1	सचिव माइक्रोवाटरशेड समिति वि.खं. गुरुर	भिरई	भिरई	1 (मु.)*				1
2		देवकोट	देवकोट	1 (मु.)*				1
3		कंवर	कंवर	1 (मु.)*				1
4		पेरपार	पेरपार	1(भू.सै.)*				1
5		सांगली	सांगली			1 (मु.)*		1
6		बोहारा	बोहारा				1(म.)*	1
7		पलारी	पलारी				1 (मु.)*	1
8		पेण्डरवानी	पेण्डरवानी		1(म.)*			1
9		सनौद	सनौद		1(भू.सै.)*			1
10		तितुरगहन	गंगोरीपार				1(म.)*	1
योग-				4	2	1	3	10

छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 289, रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012 में प्रकाशित नियम अनुसार आरक्षण निर्धारित किया गया है। प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड कमेटी में 1 पद भर्ती किया जाना है। उपरोक्त पदों में नियमानुसार महिला हेतु 33 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक हेतु 10 प्रतिशत, आरक्षण लागू होगा (महिला एवं भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में उपरोक्त पदों पर उसी वर्ग के योग्य अभ्यर्थी से पद भरे जायेंगे।)

(\*1.मु.-मुक्त, 2.भू.सै.-भूतपूर्व सैनिक, 3 म.-महिला)

**माइक्रोवाटरशेड सचिव की संविदा नियुक्ति निम्नांकित शर्तों/नियमों के अधीन होगी:-**

1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण:- सचिव माइक्रोवाटरशेड की शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण निम्नानुसार है :-

न्यूनतम अर्हता	चयन हेतु मेरिट अंक	
12वीं पास। माइक्रोवाटरशेड क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम/ग्राम पंचायत का निवासी एवं कम्प्युटर में अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	85
	न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5
	5 वर्ष तक का अनुभव	10
	5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

2. संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। WCDC आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. आवेदक माइक्रोवाटरशेड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
4. आवेदक को छ.ग. राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. उम्मीदवार को दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
7. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदन करने के पहले विज्ञापन में प्रकाशित आवश्यक शैक्षणिक एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता स्वयं सुनिश्चित कर लेवें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदन करें।
9. उपरोक्त पदों पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर आधारित मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
10. चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी। नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।
12. आवेदन पत्र बंद लिफाफे में पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12/06/2023 कार्यालयीन समय तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC जिला-बालोद (छ.ग.) को प्राप्त हो जाना चाहिए। व्यक्तिगत आवेदन पत्र एवं कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। निर्धारित तिथि एवं समय समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
13. संविदा नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. विज्ञापित पद के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि आवेदक संबंधित संस्था में कितने मासिक वेतन पर कब से कब तक कार्यरत रहा है।
15. जन्मतिथि के प्रमाण के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

४

16. प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा संलग्न करने हेतु प्रमाणपत्र—1. हाई स्कूल की अंकसूची, 2. हायरसेकण्डरी स्कूल की अंकसूची, 3. निवासी प्रमाण पत्र, 4. उच्चस्तरीय छानबीन समिति द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों हेतु), 5. अनुभव प्रमाणपत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए), 6. रोजगार कार्यालय पंजीयन, 7. 02 पासपोर्ट साईज का फोटो, 8. आधार कार्ड की छायाप्रति एवं उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं प्रेषक के नाम एवं पत्र व्यवहार का पता एवं मोबाईल नंबर तथा एक खाली लिफाफा 5 रु. का डाक टिकट सहित प्रेषित करेंगे।
17. इस विज्ञापन में जिला स्तर पर वर्तमान में लागू रोस्टर के आधार पर संवर्गवार रिक्तियां सुनिश्चित की गई है।
18. चयन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
19. नियुक्ति की अन्य शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय पर उप संचालक कृषि, जिला बालोद छ.ग. के सूचना पटल एवं विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाईट [www.balod.gov.in](http://www.balod.gov.in) पर देखा जा सकता है।
20. आवेदक केवल एक ही माइक्रोवाटरशेड (जलग्रहण समिति) के सचिव पद हेतु ही आवेदन करेगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रथम प्राप्त आवेदन को मान्य करते हुये शेष समस्त आवेदन स्वमेव निरस्त माने जावेंगे। अतः आवेदन में माइक्रोवाटरशेड (जलग्रहण समिति) का स्पष्ट उल्लेख किया जावें।
21. अवकाश की पात्रता – संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।
22. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी. एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।
23. प्रसूति अवकाश— शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
24. अन्य शर्तें – छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार शर्त मान्य होंगे।
  - 24.1 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
  - 24.2 नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह के वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
  - 24.3 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति की हैसियत से जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए, किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, मृत्युलाभ एवं वित्तीय सहायता की पात्रता नहीं होगी।
  - 24.4 किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

४

25. सचिव, माइक्रो वाटरशेड के उत्तरदायित्व –

25.1 वाटरशेड विकास परियोजना के संदर्भ में निर्णय करने की प्रक्रियाओं को सुसाध्य बनाने हेतु ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वाटरशेड समिति की बैठकें आयोजित करना।

25.2 सभी निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही करना।

25.3 परियोजना कार्यकलापों तथा ग्राम पंचायत, वाटरशेड समिति तथा वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी अन्य संस्थाओं की बैठकों की कार्यवाहियों के सभी अभिलेखों को रखना।

25.4 भुगतानों तथा अन्य वित्तीय लेन-देनों को सुनिश्चित करना।

25.5 वाटरशेड समिति की ओर से वाटरशेड विकास दल के नामिती के साथ धनादेश पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।

25.6 प्रोजेक्ट अंतर्गत प्राप्त राशि के व्यय संबंधी, कैश-बुक/बैलेंस शीट आदि अभिलेखों का नियमानुसार संधारण करना।

25.7 प्रोजेक्ट अंतर्गत निर्माण कार्यों की पंजी संधारित करना तथा गाइडलाईन के प्रावधान अनुसार प्रत्येक वर्ष की समाप्ति उपरांत परिसंपत्तियों का ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण की पंजी संधारित करना।

26. आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज/औपचारिकताओं की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

उप संचालक कृषि  
सह परियोजना प्रबंधक WCDC

जिला-बालोद (छ.ग.)

बालोद दिनांक 25/05/2023

पृ.क्रमांक/टी-10/PMKSY-WDC-2.0/2023-24/85  
प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (CGSWMA) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, कृषक नगर, लाभाण्डी, रायपुर,
2. कलेक्टर सह अध्यक्ष, WCDC जिला बालोद
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालोद।
4. सहायक संचालक, जनसम्पर्क विभाग बालोद की ओर प्रेषित। कृपया उपरोक्त विज्ञापन का प्रेस विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करने का कष्ट करें।
5. DIO, NIC बालोद की ओर बालोद की वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वि.ख.गुरुर में चस्पा हेतु।

उप संचालक कृषि  
सह परियोजना प्रबंधक WCDC

जिला-बालोद (छ.ग.)

**माइक्रो वाटरशेड सचिव पद पर नियुक्ति हेतु  
आवेदन पत्र का प्रारूप**

प्रति,

उप संचालक कृषि,  
सह परियोजना प्रबंधक WCDC  
जिला-बालोद (छ.ग.)

स्व प्रमाणित  
नवीनतम  
पासपोर्ट  
फोटो

विषय : माइक्रो वाटरशेड कमेटी .....के सचिव पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

**आवेदन पत्र का विवरण**

1. आवेदित पद का नाम : माइक्रोवाटरशेड सचिव, माइक्रोवाटरशेड का नाम.....  
विकासखंड-गुरुर, जिला-बालोद (छ.ग.)
2. आवेदक का नाम :.....
3. पिता/पति का नाम :.....
4. जन्मतिथि :..... शब्दों में.....
5. लिंग : महिला/पुरुष
6. जाति :..... प्रवर्ग : अजा/अजजा/अपिव/अनारक्षित
7. वर्तमान पता :.....  
.....मो नं.....
8. पूर्ण स्थायी पता :.....  
.....मो. नं.....
9. क्या आवेदक जिस माइक्रो वाटरशेड समिति में आवेदन कर रहा है, उस माइक्रो वाटरशेड समिति में सम्मिलित ग्राम का निवासी है ? हां/नहीं
10. यदि हां तो ग्राम का नाम उल्लेख करें .....
11. क्या आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है ? हां/नहीं
12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण दें-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

13. जलग्रहण क्षेत्र में अनुभव : हां/नहीं, यदि हां तो विवरण दें-

पद का नाम	नियोक्ता	अनुभव की अवधि		
		कब से	कब तक	कुल अनुभव वर्ष

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत/असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

स्थान :.....

दिनांक :.....

संलग्न: स्व प्रमाणित दस्तावेजों की सूची 1.....2.....3.....4.....  
5..... 6..... 7..... ।

आवेदक का हस्ताक्षर  
आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता